जनपद गाजियाबाद   प्रेस नोट   दिनाँक 01.03.21

थाना कविनगर पुलिस द्वारा अपहर्त की गयी नाबालिग अपहर्ता व अपहरण का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 01.03.21 को थाना कविनगर के मु0अ0सं0 788/20 धारा 363/366/376 भादवि व 3(क)(4)2/5(ठ)6 पोक्सो अधि0 की अपहर्ता नेहा उर्फ भूमि उर्फ लडडू पुत्री अरविन्द नि0 शंकर विहार गढढा कालोनी लाल कुआ थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र लगभग 15 वर्ष व अभियोग के वांछित अभियुक्त प्रशान्त उर्फ छोटू पुत्र विष्णु सिंह उर्फ विशनपाल निवासी ग्राम छावडा थाना कुढफतेहगढ जिला सम्भल को अभियुक्त के निवास स्थान से बरामद/गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:

अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाना तथा उसके साथ शारिरिक सम्बन्ध बनाना। अभियुक्त को मय अपहर्ता के अभियुक्त के निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

प्रशान्त उर्फ छोटू पुत्र विष्णु सिंह उर्फ विशनपाल निवासी ग्राम छावडा थाना कुढफतेहगढ जिला सम्भल

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 363/366/376 भादवि व 3(क)/4(2)/5(ठ)6 पोक्सो अधि0 थाना कविनगर गाजियाबाद ।

थाना कविनगर पुलिस द्वारा राह चलते लोगों के साथ लूटपाट करने वाले दो शातिर अभियुक्त गिरफ्तार व लूटा गया माल बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 01.02.21 को थाना कविनगर के मु0अ0सं0 308/2021 धारा 394/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण साजिद पुत्र गुलाम निवासी 387 भट्टा बस्ती जयपुर राजस्थान (2) शोएब उर्फ जीशान पुत्र इरशाद निवासी 440ए भट्टा बस्ती जयपुर राजस्थान को वादी से पर्स छीनकर भागते समय वादी व साथियों द्वारा पकड लिया जाने व लूटा हुआ पर्स मय नकदी व आधार कार्ड बरामद होना।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगण द्वारा शातिर किस्म के लुटेरे है, जो राह चलते लोगो के साथ लूट की घटनाओं को अन्जाम देते है। अभियुक्तगण द्वारा वादी का पर्स छीनकर भागते समय वादी के साथियों व अन्य जनता के व्यक्तियों द्वारा पकडे जाना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1. साजिद पुत्र गुलाम निवासी 387 भट्टा बस्ती जयपुर राजस्थान उम्र 25 वर्ष शिक्षा अनपढ।
2. शोएब उर्फ जीशान पुत्र इरशाद निवासी 440ए भट्टा बस्ती जयपुर राजस्थान उम्र 26 वर्ष शिक्षा अनपढ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 308/2021 धारा 394/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्तगण साजिद व शोएब के कब्जे से वादी का लूटा हुआ पर्स मय 80 रुपये व आधार कार्ड बरामद होना।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा लूट व चोरी की घटना कारित करने वाले एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी महोदय के आदेशानुसार वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय के निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक मोदीनगर के नेतृत्व में उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद की टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त विशाल पुत्र संजय निवासी बेगमाबाद ऊची सड़क मोदीनगर गा0बाद को दिनाँक 01.03.2021 समय 02.30 बजे तिबड़ा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से एक मो0सा0 हीरो होण्डा हंक UP 14 BQ 5002 बरामद हुई है। जो दिनांक 29.05.2020 को थाना मोदीनगर स्टेट बैंक से चोरी हुई थी। जिसके सम्बन्ध में एफआईआर नं0 377/20 धारा 379 भादवि थाना मोदीनगर में पंजीकृत है।

अपराध का तरीका-

अभियुक्त शातिर किस्म का चोर है। जो मौका पाकर लाक तोड़कर वाहन चोरी करता है।

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त-

विशाल पुत्र संजय निवासी बेगमाबाद ऊची सड़क मोदीनगर गा0बाद

बरामदगी

एक मो0सा0 हीरो होण्डा हंक UP 14 BQ 5002 (चोरी के अभियोग से सम्बन्धित)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1 मु0अ0सं0 377/20 धारा-379/411 भादवि थाना मोदीनगर गाजियाबाद।
2 मु0अ0सं0 362/20 धारा-392 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
3 मु0अ0सं0 523/20 धारा-392 भादवि थाना सिहानी गेट गाजियाबाद।
4 मु0अ0सं0 1401/20 धारा-392 भादवि थाना सिहानी गेट गाजियाबाद।
5 मु0अ0सं0 1404/20 धारा-392 भादवि थाना सिहानी गेट गाजियाबाद।
6 मु0अ0सं0 1420/20 धारा-3/25 आयुध अधि0 थाना सिहानी गेट गाजियाबाद।
7 मु0अ0सं0 1422/20 धारा-411/414 भादवि थाना सिहानी गेट गाजियाबाद।
8 मु0अ0सं0 1594/19 धारा-379 भादवि थाना सिहानी गेट गाजियाबाद।

श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद व थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा अनैतिक देह व्यापर में लिप्त 3 पुरूष व 6 महिला अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 6 अदद इस्तेमाली कण्डोम, 19 बिना इस्तेमाली कण्डोम व 4800रू0 नगद वेष्यावृति के अर्जित बरामद ।

कार्यवाहीः– जनपद गाजियाबाद व आस–पास के जनपदो के अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देषन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतूर्थ महोदय के कुषल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौषिक की टीम द्वारा दिनांक 28.02.2021 को समय करीव 22.45 बजे मुखबिर की सूचना पर प्लाट नं0 सी–36 फ्लैट नं0 एफ–1

डीएलएफ कालोनी साहिबाबाद से फ्लैट के अन्दर चल रहे **अवैध वेष्यावृति (अनैतिक देह व्यापार)** में लिप्त 03 पुरूष 01– समीर पुत्र जहीर नि0 चांद मस्जिद के पास पसौण्डा थाना टीला मोड गाजियाबाद 02– फरमान पुत्र ग्यासुददीन नि0 चांद मस्जिद के पास पसौण्डा थाना टीला मोड गाजियाबाद 03– रवि पुत्र नगदू नि0 ग्राम पावी थाना ट्रोनिका सिटी थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद, व 06 नफर महिला अभियुक्ता 06 अदद इस्तेमाली कण्डोम, 19 अदद बिना इस्तेमाली कण्डोम, व 4800रू0 नगद वेष्यावृति के अर्जित बरामद किये गये है।

अपराध कारित करने का तरीका:–

अभियुक्तगणो को अपने निजी स्वार्थ में अवैध वेष्यावृति करते हुए गिरफ्तार किया गया है।

पंजीकृत अभियोगो का विवरण: मु0अ0सं0 341/2021 धारा 3/4 अनैतिक देह व्यापार अधि0 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम 9 नफर।

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा टैम्पू में सवारी बैठाकर लूट करने वाले 02 शातिर लुटेरो को मय एक अदद चाकू व एक अदद छुरी, लूट की घटनाओं में प्रयुक्त 01 टैम्पू के साथ किया गिरफ्तार।

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा वरिष्ठ उप-निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 28.02.2021 की रात्रि को चेकिंग के दौरान 02 शातिर लुटेरे **1. राहुल उर्फ टिल्लर** पुत्र करतार सिंह, नि. म.नं. 627, बोम्बे कालोनी, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद **2. विशाल** पुत्र ललित, नि. म.नं. 242, फ्रीहोल्ड, दीनदयालपुरी, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद को सजवान नगर कट के पास थाना विजयनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज, एक अदद छुरी नाजायज व लूट की घटनाओ में प्रयुक्त एक टैम्पू नं. UP 14FT 1602 बरामद किया गया है।

अपराध करने का तरीका

अभि0गणो द्वारा पूछताछ पर बताया कि हम क्षेत्र में घूम घूम कर अकेली दुकेली सवारी को अपने टैम्पू में बैठाकर सुनसान इलाके में चाकू व छुरी के बल पर उनसे लूटपाट करते है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगणों का नाम व पता

1- राहुल उर्फ टिल्लर पुत्र करतार सिंह, नि. म.नं. 627, बोम्बे कालोनी, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद

2- विशाल पुत्र ललित, नि. म.नं. 242, फ्रीहोल्ड, दीनदयालपुरी, थाना नन्दग्राम, गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

1.एक अदद चाकू नाजायज

2.एक अदद छुरी नाजायज

3. लूट की घटनाओ में प्रयुक्त एक टैम्पू नं. UP 14FT 1602

गिरफतार अभि0गण का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 221/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम राहुल उर्फ टिल्लर उपरोक्त2-मु0अ0सं0 222/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम विशाल उपरोक्त

3-मु0अ0सं0 0076/21 धारा 323,392,411 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद बनाम राहुल उर्फ टिल्लर व विशाल उपरोक्त

थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा लूट की घटना में वाछिंत चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार,कब्जे से लूटी गई रकम से 2250/-रुपये बरामद।

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितिय महोदय के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा दि0-01.03.2021 को मु0अ0स0 1929/19 धारा 392/411/34 /120 बी भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद में लूट की योजना में शामिल अभियुक्त **सचिन उर्फ मैक्स पुत्र श्री सुन्दर सिंह नि0 ग्राम पावला बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत** को गुरुद्वारा के पास चौकी क्षेत्र अभयखण्ड से गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त द्वारा केडी माँलस्थित वाईन शाँप में लूट की घटना कारित करने की योजना बनायी गई थी। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट की रकम में से **2250** रु0 बरामद हुये है।

अपराध करने का तरीका अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि सेल्समैन का काम करने वाले संदीप के दवारा सट्टा खेलने की लत में हारे हुए 02 लाख रु0 की भरपाई हेतु योजना बनाकर लूट करायी थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :

सचिन उर्फ मैक्स पुत्र श्री सुन्दर सिंह नि0 ग्राम पावला बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 1929/20219धारा 392/411/34 /120 बी भादवि थाना इंदिरापुरम गा0बाद।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 प्रहलाद सिंह
2.है0का0 अनवार खां
3.है0का0 सुनील

थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा हत्या की घटना में शामिल अभियुक्त को किया गिरफ्तार,मुख्य अभियुक्त को दिनाँक 28.02.2021 को किया जा चुका है गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनाँक 25.02.2021 को वादी श्री हिमांशु पुत्र राजकुमार निवासी गढी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद द्वारा अपने भाई रौनक व उसके साथियो के साथ मारपीट करने तथा मारपीट के बाद रौनक की हत्या कर शव छुपा देने के सम्बन्ध में थाना नन्दग्राम पर मु0अ0स0 0078/21 धारा 147/323/302/201 भादवि व 3(2)v एससीएसटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था।

कार्यवाही

उक्त अभियोग के सफल अनावरण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय को निर्देशित किया गया था। उच्च अधिकारियो के सफल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक नन्दग्राम श्री नीरज कुमार मय टीम द्वारा घटना में वाछिंत चल रहे अभियुक्त सत्यवीर पुत्र चरन सिंह निवासी सिकरोड राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद (मुख्य अभियुक्त का भाई) को दि0 01/03/21 समय 14:20 बजे गाजियाबाद मेरठ रोड पर स्थित भट्टा नं0 5 से गिरफ्तार किया गया है। मुख्य अभियुक्त को पूर्व मे ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

<u>अपराध करने का तरीका</u>

दि0 23/02/21 को दुर्वेश कुमार के घर पर शादी की सालगिरह व गृह प्रवेश का प्रोग्राम था। उक्त प्रोग्राम में बिजली का काम करने वाले ठेकेदार विजय अपने पांच कारीगर रौनक,सुभाष,अनिल,आरिफ और राजा सहित प्रोग्राम में काम करने गया था। प्रोग्राम के दौरान दुर्वेश कुमार के घर से कैमरा चोरी हो गया था।

चोरी के शक में दिनाँक 24.02.21 को मुख्य अभियुक्त दुर्वेश कुमार उसके भाई सत्यवीर उपरोक्त व उसके परिजनो द्वारा रौनक व उसके 04 साथियो को पूछताछ के लिये बुलाया गया तथा इनके साथ लात घुसो व डंडो से मारपीट की गई। मारपीट के दौरान रौनक को गम्भीर चोट आयी तथा उसकी मौके पर मृत्यु हो गयी। अभियुक्त द्वारा अपने भाई सत्यवीर की गाडी में रौनक के शव को ले जाकर सांगवान हाईट्स के पास फेंक दिया था।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

सत्यवीर पुत्र चरन सिंह निवासी सिकरोड राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद (मुख्य अभियुक्त का भाई)

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरणः-</u>

मु0अ0सं0 78/21 धारा 147/323/302/201 भादवि व 3(2)v एससीएसटी एक्ट

<u>थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा #ऑपरेशन निहत्था #OperationUnarmed के अन्तर्गत 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर ,02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद</u>

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियावाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों की धरपकड व जुर्म रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान आपरेशन निहत्ता के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लोनी के पर्यवेक्षण में थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 01-03-2021 को घिटोरा तिराहे से समय 11.40 बजे अभियुक्ता शान मौहम्मद उर्फ अमन पुत्र आश मौहम्मद निवासी दौलत नगर गिरजाघर कालौनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद को 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस नाजायज के गिरफ्तार किया गया है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/ आपराधिक इतिहास -</u>

शान मौहम्मद उर्फ अमन पुत्र आश मौहम्मद निवासी दौलत नगर गिरजाघर कालौनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद

<u>बरामदगी का विवरण</u>

1. 01 तमंचा 315 बोर
2. 02 जिन्दा कारतूस नाजायज।

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 2 नफर अभि0 मय 420 ग्राम गाँजा व 120 ग्राम अलप्राजोलम के गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय नगर व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीया महोदया के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा कल दिनांक 28.02.2021 को समय 19.20 बजे घटनास्थल मैट्रो स्टेशन कौशाम्बी के पास से चैकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त करन पुत्र परमेश्वर निवासी ताऊ की डेरी सीमांत विहार थाना कौशांबी गा0बाद उम्र करीब 24 वर्ष गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 120 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ अलप्राजोलम बरामद हुआ है। तथा 28.02.2021 को समय 21.30 बजे घटनास्थल रोडिसन ब्लू हॉटल के पास सीमान्त बिहार से चैकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त रजनीश S/O मोहन लाल निवासी अंबेडकर पार्क के पास महाराजगंज थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 420 ग्राम अवैध गाँजा बरामद हुआ है। अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत मे भेजा जा रहा है।

अपराध कारित करने का तरीका-

अभि0गण द्वारा NCR क्षेत्र में नाजायज गाँजा व अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी कर अवैध धन अर्जित करना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. करन पुत्र परमेश्वर निवासी ताऊ की डेरी सीमांत विहार थाना कौशांबी गा0बाद उम्र करीब 24 वर्ष।
2. रजनीश पुत्र मोहन लाल निवासी अंबेडकर पार्क के पास महाराजगंज थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी -

अभियुक्त गणो के कब्जे **420 ग्राम गाँजा व 120 ग्राम अलप्राजोलम** बरामद होना।

अभियुक्त करन पुत्र परमेश्वर का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 129/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम करन उपरोक्त थाना कौशाम्बी गा0बाद

व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त रजनीश पुत्र परमेश्वर का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 130/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम रजनीश उपरोक्त थाना कौशाम्बी गा0बाद

व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।